भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1339
दिनांक 11.02.2025 को उत्तरार्थ

स्थानीय सरकार को विकास निधि

1339. श्री उमेषभाई बाबूभाई पटेल:

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने दादरा नगर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र में ग्राम पंचायतों/जिला पंचायतों/नगरपालिकाओं जैसी स्थानीय स्वशासी संस्थाओं को विकास निधियां प्रदान की हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत सात वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्रदान की गई विकास निधियों का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त धनराशि में से व्यय की गई राशि का मदवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पंचायती राज राज्य मंत्री

(प्रोफ. एस. पी. सिंह बघेल)

(क) पंचायती राज मंत्रालय ने दादरा नगर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र में ग्राम पंचायतों/जिला पंचायतों/नगरपालिकाओं जैसी स्थानीय स्वशासी संस्थाओं को कोई विकास निधियां प्रदान नहीं की हैं। हालांकि, यह मंत्रालय वित्तीय वर्ष 2022-23 से केंद्र प्रायोजित योजना, पुनर्गठित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को लागू कर रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाना है, जिसके तहत सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है ताकि उनकी शासन क्षमता विकसित हो सके और वे नेतृत्व की भूमिकाओं को प्रभावी रूप से निभा सकें। यह पहल ग्राम पंचायतों को प्रभावी ढंग से कार्य करने और सतत विकास लक्ष्यों को स्थानीय स्तर पर लागू करने में सक्षम बनाएगी।

इसके अलावा, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के अंतर्गत मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण के लिए संस्थागत तंत्र स्थापित करने तथा मुख्य रूप से पूर्वोत्तर, पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों के लिए सीमित पैमाने पर ग्राम पंचायत भवन, कंप्यूटर और ग्राम पंचायत भवनों में सामान्य सेवा केन्द्रों की सह-स्थापना जैसे पंचायती बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए सहायता प्रदान कर रहा है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते हैं।

(घ) 14वें केंद्रीय वित्त आयोग और 15वें केंद्रीय वित्त आयोग के तहत, पंचायती राज मंत्रालय को केवल राज्यों को अनुदान की सिफारिश करने का अधिदेश दिया गया है, जिसे बाद में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। केंद्रीय वित्त आयोग के तहत पंचायती राज मंत्रालय द्वारा संघ राज्यक्षेत्र को कोई अनुदान की सिफारिश नहीं की जाती है।

***